संख्या-10/2015/1776/71-आयुष-2-2014/37(बी)/2014

प्रेषक,

राजकुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक
होम्योपैथी
उ0प्र0,लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 जनवरी 2015

विषयः ग्रमीण क्षेत्र के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीने और सज्जा और उपकरण और संयंत्र से सम्बन्धित स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-नि0हो0/1041/बजट/ शहरी/2014-15/14386 दिनांक 28.11.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद प्रतापगढ,बलिया, झांसी एवं महराजगंज के ग्रमीण क्षे के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में उपलब्ध जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, फोटोस्टेट मशीन,वाटर कूलर, फिल्टर, सीलिंग फैन, कूलर एवं ए0सी0 की मरम्मत एवं संचालन तथा साज-सज्जा एवं उपकरण हेतु कुल रूपये 2580000/-(पचीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति (संलग्नक विवरण के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

1- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।
2- स्वीकृति धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3 -व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-स्वीकृति धनराशि व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति और वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

6- व्यय उन्ही मदों में किया जाय,जिनके लिए प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

7- उक्त वित्तीय स्वीकृति के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा अनुश्रवण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

8- उक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त स्वीकृति को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-34 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-अयोजनेत्तर-02-ग्रमीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-अस्पताल और औषधालय-0501-होम्योपैथिक चिकित्सालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-10/2015/1776(1)/71-आयुष-2-2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,होम्योपैथिक निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ,बलिया, झांसी एवं महराजगंज ।

4- कोषाधिकारी,बदायू, प्रतापगढ,बलिया, झांसी एवं महराजगंज ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।